

फर्द अहकाम

रामजीलाल बनाम कबूल वरु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या ..... 36...../2025 पाना पत्र फि.र.

क्रमा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/03/26	<p>पगावकी पेसा वकील उमर फरुख            गरीब को फि.र. के वकिल तहकी को            जो धारे हुए फि.र. जिन 23/04/25 से            उमर फरुख को पाबन्द करने हुए बलवद            का फैसला होते लु कन्फर्म किया जाके जिससे            प्रकृत के वकील इजाजत के सहारे जाहिर            की बहस पर मग किया। पगावकी का            कैचलोगन बियागपा। वकील उमर फरुख को            सधरि उपदान्त एक व्यापहित के फि.र. जिन 23/04/25 से उमर फरुख को पाबन्द किया जाकर            फि.र. को बलवद का फैसला होते लु            कन्फर्म किया जाता है पगावकी फैसल            दुमाए होकर उर्ज कम्बर के कम हैं            वाड डाबिल उपरत है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
 पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)